

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गाडरवारा (म.प्र.)

प्रेस विज्ञप्ति

प्रमुख सचिव, म.प्र. खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ 7-19/2014/29-1/ भोपाल दिनांक 09.04.2021 अनुसार विकासखंड साईखेड़ा में विक्रेता विहीन दुकानों वाली ग्राम पंचायतों में नवीन उचित मूल्य दुकान आवंटन को ऑनलाईन प्रक्रिया की जाना है। म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 में दिये प्रावधान अनुसार विकासखंड साईखेड़ा में निम्न ग्राम पंचायतों में शासकीय उचित मूल्य दुकान आवंटित की जाना है:-

क्र.	विकासखंड/स्थानीय निकाय का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	दुकान विहीन /विक्रेता विहीन दुकान की संख्या
1	साईखेड़ा	डुंगरिया, पीपरपानी	2

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा विभाग की वेबसाईट <https://rationmitra.nic.in> पोर्टल पर शेष रही विक्रेता विहीन दुकानों वाली ग्राम पंचायतों के लिए पात्र संस्थाएं दिनांक 05/07/2024 से 07/07/2024 तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। दुकान आवंटन की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा की जावेगी।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
गाडरवारा

क्रमांक/ 1206/खाद्य/नवी.दु.आ./2024

गाडरवारा, दिनांक 05/07/2024

- प्रतिलिपि:-
1. आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय भोपाल।
 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नरसिंहपुर
 3. जिला आपूर्ति अधिकारी नरसिंहपुर
 4. उपपंजीयक, सहकारी संस्थाएं नरसिंहपुर।
 5. जिला प्रबंधक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ।
 6. उप संचालक, जनसंपर्क विभाग नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ। स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।



अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
गाडरवारा